संख्या–184 /USDMA-792-(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादूनः दिनांकः 18 मई, 2020

विषय– **कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु तालाबन्दी 31 मई, 2020 तक बढ़ाये जाने एवं तत्सम्बन्धी दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या–40-10/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 के द्वारा कोविड़–19 के संक्रमण का नियत्रित किये जाने हेतु तालाबन्दी की अवधि को दिनांक 31 मई, 2020 तक विस्तारित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में मुझे समस्त सम्बन्धितों को निम्नवत् निर्देशित किये जाने के निदेश हुआ है:

1. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–Z.28015/19/2020-EMR(Pt.) दिनांक 17 मई, 2020 के अनुरूप राज्य के जनपदों को रैड (Red), ऑरेन्ज (Orange) एवं ग्रीन (Green) के रूप में वर्गीकृत करते हुवे उक्त का आदेश निर्गत किया जायेगा।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-10/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 के अनुरुप कन्टेनमेंन्ट जोन (Containment Zone) व बफर जोन (Buffer Zone) का निर्धारण किया जायेगा।
3. समस्त राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40-10/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 के दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत चिन्हित गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेंगी।
4. जनपदों द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन (Containment Zone) के रूप में चिन्हित क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40-10/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 के दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 5(iii) के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

5. रेड (Red) जोन में उपरोक्त क्रमांक 3 के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेंगी/सीमित प्रतिबन्धों के साथ संचालित की जा सकेगी :

5.1 प्रतिबन्धित गतिविधियाँ

a. Cycle rickshaws and auto rickshaws.
b. Taxis and cab aggregators.
c. Intra-district and inter-district plying of buses.
d. Barber shops, spas and salons.

5.2 सीमित प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य गतिविधियाँ

a. Movement of individuals and vehicles, only for permitted activities. Four wheeler vehicles will have maximum three passengers besides the vehicle driver; for two wheelers, pillion rider is not allowed.
b. Industrial establishments in urban areas: Only Special Economic zones (SEZs), Export Oriented Units (EOUs), industrial estates and industrial townships with access control; Manufacturing units of essential goods, including drugs, pharmaceuticals, medical devices, their raw material and intermediates; Production units, which require continuous process, and their supply chain; Manufacturing of IT hardware; and manufacturing units of packaging material are permitted.
c. All industrial activities are permitted in rural areas.
d. Construction activities in urban area: Only in situ construction (where workers are available on site and no workers are required to be brought in from outside) and construction of renewable energy projects are permitted.
e. All construction activities are permitted in rural areas.
f. All malls, market complexes and markets shall remain closed in urban areas, i.e., areas within the limits of municipal corporations and municipalities. However, shops selling essential goods in markets and market complexes are permitted.
g. All standalone (single) shops, neighborhood (colony) shops and shops in residential complexes are permitted to remain open in urban areas, without any distinction of essential and non-essential.
h. All shops in rural area, except in malls, are permitted to remain open, without any distinction of essential and non-essential.
i. Social distancing (*2 Gaz ki doori*) will be maintained in all cases.
j. E-Commerce activities will be permitted only in respect of essential goods.
k. Private offices can operate with upto 33% strength as per requirement, with the remaining persons working from home.
l. All Government offices shall function with officers of the level of Deputy Secretary and above to the extent of 100% strength. The remaining staff will attend upto 33% as per requirement. However, Defense and Security services, Health and Family Welfare, Police,

Prisons, Home Guards, Civil Defence, Fire and Emergency Services, Disaster management and related services, NIC, Customs, FCI, NCC, NYK and Municipal services shall function without any restrictions; delivery of public services shall be ensured and necessary staff will be deployed for such purpose.

6. Inter-State परिवहन सामान्यत: प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मण्डलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।
7. राज्य के ऑरेन्ज (Orange) जोन एवं ग्रीन (Green) जोन में वर्गीकृत जनपदों में Inter State एवं Intra State सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। इस हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। परिवहन विभाग इस सम्बन्ध में मानक प्रचालन कार्य विधि (SoP) जारी करेंगे।
8. समस्त राज्य में दिनांक 31 मई, 2020 तक रेड जोन (Red Zone) में Barber, Saloon, Spa, Parlour, Restaurants आदि के संचालन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
9. ऑरेन्ज (Orange) जोन एवं ग्रीन (Green) जोन में Barber Shop, Saloon, Spa एवं Parlour खुल सकेंगे एवं Restaurants द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी।
10. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40-10/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 द्वारा व्यावसायिक एवं वाणिज्यीय गतिविधियों के संचालन के संदर्भ में दिये गये निर्देशों के क्रम में ये समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 7:00 बजे से सांय: 4:00 बजे तक सेवायें दे सकेगें।
11. राज्य सरकार एवं भारत सरकार के समस्त कार्यालय, उपक्रम, निगम, बैंक आदि प्रात: 10:00 बजे से सांय: 4:00 बजे तक खुले रहेगें। राज्य सचिवालय प्रात: 9.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहेगा। उपरोक्त समस्त कार्यालयों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक दूरी तथा साफ–सफाई सम्बन्धित निर्देशों एवं अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. समस्त निजी कार्यालय सांय: 4:00 बजे तक खुले रहेगें तथा इनमें गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक दूरी, साफ–सफाई सम्बन्धित निर्देशों एवं अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. राज्य के समस्त नगर निगमों में चार पहिया निजी वाहन तिथि (Date) के आधार पर सम–विषम (Odd-even) पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित होंगे। यह प्रतिबंध राजकीय वाहनों, माल वाहक वाहनों, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं अन्य राज्यों से अनुमति प्राप्त अधिकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा। निजी चार पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त अधिकतम 03 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
14. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप सांय 4:00 बजे से प्रात: 7:00 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर–आवश्यक क्रियाकलाप पूर्णत: प्रतिबन्धित होगें। जिला मजिस्ट्रेट इस विषय में अपने–अपने जनपदों के लिये पृथक से आदेश निर्गत करेगे।

15. उपरोक्त आदेशों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40-10/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

समस्त सम्बन्धित उपरोक्त समस्त आदेशों एवं निर्देशो के साथ–साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40-10/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी